उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्पलेक्स
A-1/4, लखनपुर,
पोस्ट बाक्स नं. 1050
कानपुर – 208024
दूरभाष : 2582851–53(PBX)
वेबसाइट : www.upsidc.com
ई.मेल : md@upsidc.com

संदर्भ सं0 748-55/यूपीसीडा/आई0ए0/ दिनांक 07/07/2021

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के संचालक मण्डल की दिनॉक 22.06.2021 को सम्पन्न 38वीं बैठक में प्राधिकरण के समस्त अधिसूचित औद्योगिक विकास क्षेत्रों में अनुरक्षण शुल्क की दरों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के कम में प्राधिकरण के आवंटित औद्योगिक एवं व्यवसायिक/फैसलिटी/एकल आवासीय/ग्रुप हाउसिंग तथा संस्थागत (शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक) भूखण्डों में अनुरक्षण शुल्क की दरों से संबंधित पूर्व निर्गत समस्त आदेशों को आदेश निर्गत होने की तिथि से अवकमित करते हुए अनुरक्षण शुल्क की दरें निम्नवत् पुनरीक्षित की जाती है:–

(अ) औद्योगिक भूखण्डों हेतु अनुरक्षण शुल्क की दरें :–

क0	औ0क्षे0 का वर्गीकरण	अनुरक्षण शुल्क की संशोधित दरें (प्रतिवर्ग मीटर प्रतिवर्ष)
1	**मन्थर गामी औ0क्षे0**	
	भूखण्ड क्षेत्रफल 25एकड़ तक	रू0 10.00
	भूखण्ड क्षेत्रफल 25से 50 एकड़ तक	रू0 08.00
	भूखण्ड क्षेत्रफल 50से 100 एकड़ तक	रू0 06.00
2	**तीव्र/अति तीव्र गामी औ0क्षे0**	
	भूखण्ड क्षेत्रफल 25एकड़ तक	रू0 20.00
	भूखण्ड क्षेत्रफल 25से 50 एकड़ तक	रू0 16.00
	भूखण्ड क्षेत्रफल 50से 100 एकड़ तक	रू0 12.00

उपरोक्त दरों के आधार पर ऑगणित अनुरक्षण शुल्क की दरें अधिकतम सीमा 100 एकड़ क्षेत्रफल पर लागू होगी । 100 एकड़ क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर अनुरक्षण शुल्क 100 एकड़ क्षेत्रफल के भूखण्ड पर ऑगणित अनुरक्षण शुल्क के समतुल्य होगा ।

(ब) **व्यवसायिक/फैसिलिटी/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों हेतु संशोधित दरें :**
सम्बन्धित औद्योगिक क्षेत्र/सेक्टर के औद्योगिक/आवासीय भूखण्डों हेतु निर्धारित अनुरक्षण शुल्क की दरों का 2.5 गुना प्रतिवर्गमीटर प्रति वर्ष ।

(स) **एकल आवासीय/संस्थागत उपयोग के आरक्षित भूखण्डों हेतु संशोधित दरें :**
समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक भूखण्ड हेतु निर्धारित अनुरक्षण शुल्क के समतुल्य प्रतिवर्गमीटर प्रतिवर्ष ।

प्राधिकरण के समस्त प्रकृति के आवंटित भूखण्डों में भारित अनुरक्षण शुल्क की दरें यदि आवंटन पत्र/लीज–डीड में विशिष्ट रूप से प्रावधानित हैं तो तदनुसार प्रभावी होगीं अन्यथा अनुरक्षण शुल्क की उपरोक्त दरें तत्काल प्रभाव से लागू होगीं। कार्यालय आदेश निर्गत होने के पूर्व अवधि के अनुरक्षण शुल्क की देयता पूर्व निर्धारित दरों पर ही होगी।

कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व निस्तारित समस्त प्रकरणों पर यह कार्यालय आदेश प्रभावी नहीं होगा। समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी उपरोक्तानुसार आवंटियों/हस्तान्तरियों से अद्यतन तिथि तक अनुरक्षण शुल्क की देयताओं के मॉग–पत्र समय से निर्गत करना सुनिश्चित करेगें।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 748-755/यूपीसीडा/आई0ए0/ दिनांक 07/07/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–मा0 अध्यक्ष, यूपीसीडा, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव–मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर/एन), यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
4. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।
5. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/वरिष्ठ प्रबन्धक–सिविल/विद्युत, यूपीसीडा
6. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औ0क्षे0 अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर को प्राधिकरण की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के निर्देश के साथ।
8. गार्ड फाईल

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Ms. Ankita